

अध्याय ६
सम्पत्ति और संविदे

१२५. खृ. [निगम] के सम्पत्ति अर्जित करने और रखने के अधिकार—(१) ^१[निगम] को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सम्पत्तियों या उसमें किसी स्वत्व को अर्जित करने, अपने अधिकार में रखने और उसका निस्तारण करने का अधिकार होगा चाहे वह सम्पत्ति नगर की सीमाओं के भीतर स्थित हो या बाहर।

(२) ऐसी समस्त सम्पत्ति और सम्पत्ति में स्वत्व, जिन्हें ^१[निगम] ने अर्जित किया हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये और इसके उपबन्धों के अधीन ^१[निगम] में निहित होंगे।

(३) ^१[निगम] ऐसी किसी अचल सम्पत्ति को, जो सरकार द्वारा उसे हस्तान्तरित की जाय, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिनके अन्तर्गत किसी निर्दिष्ट संभावना की स्थिति के उत्पन्न होने पर सरकार द्वारा उसका पुनर्ग्रहण भी है, अपने अधिकार में रखेगा और उसका उपयोग उन प्रयोजनों के लिये किया जायगा जिन्हें राज्य सरकार हस्तान्तरण करते समय आरोपित या निर्दिष्ट करे।

१२६. कठिपय दशाओं में सम्पत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और आभारों का उत्तराधिकार—(१) नियत दिनांक से खृ.
[तथा राज्य सरकार के किन्हीं तदर्थ निदेशों के अधीन रहते हुए]

(क) समस्त सम्पत्ति और सम्पत्ति में स्वत्व और नगदी रोकड़ सहित आस्तियाँ (assets), चाहे वह कहीं भी हो, जो उक्त दिनांक से ठीक पहले किसी खृ.[नगरपालिका परिषद] इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट

या अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारी में जो नगर के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के लिए अथवा ऐसे क्षेत्र के किसी भाग के लिए स्थापित हो, अथवा ऐसे क्षेत्र, के भीतर और बाहर दोनों ही जगह क्षेत्राधिकार प्राप्त किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित थी खू[* * *] इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे नगर की खू[* * *] इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे नगर की २[निगम] में निहित हो जायेंगी और उसके अधिकार में रहेंगी ; और

(ख) पूर्वोक्त खू[नगरपालिका परिषद] इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारी के खू[नगर में समिलित क्षेत्र के सम्बन्ध में] समस्त अधिकार, दायित्व तथा आभार चाहे वे किसी संविदा से या अन्य प्रकार से उत्पन्न हुए हों, और जो उक्त दिनांक से तत्काल पूर्व वर्तमान ऐसे २[निगम] के अधिकार, दायित्व तथा आभार हो जायेंगे ।

(२) यदि ऐसा कोई संशय या विवाद उत्पन्न हो कि अमुक सम्पत्ति, स्वत्व या आस्ति उपधारा (२) के अधीन २[निगम] में निहित हो गयी है या नहीं, अमुक अधिकार, दायित्व या आभार २[निगम] के अधिकार, दायित्व या आभार हो गये हैं या नहीं, तो संशय या विवाद मुख्य नगराधिकारी द्वारा राज्य सरकार को भेज दिया जायगा, जिसका निर्णय, यदि वह किसी न्यायालय के किसी निर्णय से, अवक्रांत न हो जाय, अंतिम होगा ।

१२७. सम्पत्ति के अर्जन को नियमित करने वाले कठिपय उपबन्ध—(१) सम्पत्ति के अर्जन, २[निगम] की ओर से मुख्य नगराधिकारी द्वारा किये जायेंगे ।

(२) जहाँ कहीं यह व्यवस्था हो कि मुख्य नगराधिकारी किसी नगर के भीतर या बाहर किसी चल या अचल सम्पत्ति या ऐसी अचल सम्पत्ति में किसी स्वत्व को अर्जित कर सकेगा अथवा जहाँ कहीं इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये यह व्यवस्था आवश्यक या इष्टकर हो तो मुख्य नगराधिकारी ऐसी सम्पत्ति को अनुबंध (agreement) द्वारा या अन्य प्रकार से अर्जित कर सकेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह कि—

- (क) मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति के किसी ऐसे संकल्प से बाधित होगा जिसके द्वारा किसी विशेष मामलों के किसी वर्ग के लिये निबन्धन, दरें या अधिकतम मूल्य निश्चित किये जायँ ।
- (ख) निम्नलिखित के सम्बन्ध में कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी—
 - (१) किसी सम्पत्ति के अनिवार्य रूप से अर्जित करने में ;
 - (२) किसी अचल सम्पत्ति के विनिमय ;
 - (३) १२ महीने से अधिक की अवधि के लिये किसी सम्पत्ति को पट्टे पर लेने में ; या
 - (४) किसी आभारयुक्त सम्पत्ति का कोई दान अथवा रिक्तदाय स्वीकार करने में, और
- (ग) निम्नलिखित के सम्बन्ध में २[निगम] की स्वीकृति की आवश्यकता होगी :

(१) किसी अचल सम्पत्ति को स्वीकार करना या उसे अर्जित करना, यदि उस सम्पत्ति का, जिसे स्वीकार करना या अर्जित करने या विनिमय में देने का विचार हो, मूल्य ५,००० रुपये से अधिक हो ;

- (२) किसी सम्पत्ति को तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिये पट्टे पर लेना ; या
 (३) किसी आभारयुक्त सम्पत्ति का कोई दान या रिक्तदाय स्वीकार करना, यदि ऐसी सम्पत्ति का मूल्य ५,००० रु० से अधिक हो ।

१२८. सम्पत्ति बेचने के अधिकार—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये और उसके अथवा उनके अधीन बने नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ख.[निगम] को यह अधिकार होगा कि वह ऐसी किसी भी सम्पत्ति को या उसमें किसी स्वत्व को, जो इस अधिनियम के अधीन १[निगम] द्वारा अर्जित किया गया हो या उसमें निहित हो, बेचे, किराये पर दे, पट्टे पर उठाये, उसका विनियम करे, उसे बन्धक रखे, दान में दे या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण करे :

fdUrq izfrcU/k :g gS fd ljdkj }kjk ! [निगम] को हस्तान्तरित की गई कोई भी सम्पत्ति राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना हस्तान्तरण के निबन्धनों के विपरीत किसी रीति से न तो बेची जायेगी, न किराये पर दी जायेगी, न विनियम की जायेगी, न बंधक रखी जायेगी, अथवा न अन्य किसी प्रकार से ही किसी को हस्तान्तरित की जायेगी ।

१२९. सम्पत्ति के निस्तारण सम्बन्धी उपबन्ध—उस सम्पत्ति के निस्तारण के लिये जो कि १[निगम] की हो, निम्नलिखित उपबन्ध प्रभावी होंगे, अर्थात्—

(१) १[निगम] की सम्पत्ति का प्रत्येक निस्तारण १[निगम] की ओर से मुख्य नगराधिकारी द्वारा किया जायगा ।

(२) मुख्य नगराधिकारी स्वविवेकानुसार १[निगम] की किसी ऐसी चल सम्पत्ति को बेचकर, किराये पर देकर या अन्य रूप से व्ययन कर सकता है, जिसका मूल्य प्रत्येक व्ययन में ५०० रुपये से अथवा उस मूल्य से अधिक न हो, जिसे १[निगम] राज्य सरकार के अनुमोदन से समय—समय पर निर्धारित करे, या १[निगम] की अचल सम्पत्ति का पट्टा, जिसमें मछली मारने या फल इकट्ठा करने या लेने तथा इसी प्रकार का कोई और अधिकार सम्मिलित हो, किसी ऐसी अवधि के लिये दे सकता है जो कि किसी एक समय में १२ महीने से अधिक न हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि वह मासिक लगान का संविदा न हो या उसका वार्षिक लगान ३,००० रु० से अधिक न होता हो, मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति को अचल सम्पत्ति के प्रत्येक पट्टे की सूचना उसके दिये जाने के १५ दिन के अन्दर देगा ।

(३) मुख्य नगर अधिकारी, कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से १[निगम] की किसी ऐसी चल सम्पत्ति को बेच सकता है, किराये पर दे सकता है, या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण कर सकता है, जिसका मूल्य ५,००० रु० से अधिक न हो, और इसी प्रकार की स्वीकृति से १[निगम] की किसी अचल सम्पत्ति को जिसके अन्तर्गत कोई ऐसा अधिकार भी है, जिसके बारे में पहले कहा जा चुका है, किसी ऐसी अवधि के लिये जो एक साल से अधिक हो, पट्टे पर दे सकता है, या १[निगम] की किसी भी ऐसी अचल सम्पत्ति को बेच सकता है, या खायी रूप से उसे पट्टे पर दे सकता है जिसका मूल्य या नजराना (Premium) ५०,००० रुपये से अधिक न हो या जिसका वार्षिक किराया ३,००० रुपये से अधिक न हो ।

(४) मुख्य नगराधिकारी १[निगम] की किसी चल या अचल सम्पत्ति को १[निगम] की स्वीकृति से पट्टे पर दे सकता है, बेच सकता है, किराये पर उठा सकता है या अन्य प्रकार से उसका हस्तान्तरण कर सकता है ।

ख.[५] उपधारा (५—क) और (५—ख) में यथाव्यवस्थित के सिवाय, १[निगम] की कोई अचल सम्पत्ति उस दशा के सिवाय जब निम्नलिखित को भूमि बेची जाय, पट्टे पर दी जाय या अन्य प्रकार से

हस्तान्तरित की जाय, उसके बाजार—मूल्य से कम धनराशि पर न तो बेची जायेगी, न पट्टे पर दी जायेगी और न अन्य प्रकार से उसका हस्तान्तरण किया जायगा—

- (क) कोई परिनियत निकाय ;
 - (ख) कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसी भूमि (जो कृषि, औद्योगिकी या पशु—पालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य—पालन तथा कुक्कुट—पालन भी हैं, से सम्बद्ध प्रयोजनों के लिए धृत या अध्यासित न हो) या भवन से, इस अधिनियम के अधीन उसके अनिवार्य रूप से अर्जन किये जाने के कारण, निष्पादित हो और जिसके पास नगर में कोई अन्य भूमि या भवन न हो, या
 - (ग) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९६० के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी को शैक्षिक, सांस्कृतिक या अन्य पूर्त प्रयोजन के लिए (जिसके अन्तर्गत कोई धर्म कार्य या उसका प्रचार नहीं है जिसमें धर्म, जाति या जन्म—स्थान के आधार पर लाभार्थियों के सम्बन्ध में विभेद नहीं है) :
- प्रतिबन्ध यह है कि सिवाय राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से भूमि को बेचने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करने की दशा में इस प्रकार दी गयी किसी रियायती मूल्य का—
- (१) पट्टे की दिशा में, वार्षिक किराया मूल्य के आधे से,
 - (२) किसी अन्य हस्तान्तरण की दशा में, बाजार—मूल्य के आधे या दस हजार रुपये से, इसमें जो भी कम हो, अधिक न होगा।

स्पष्टीकरण—यदि प्रस्तावित रियायती मूल्य के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठे कि किसी प्रस्तावित हस्तान्तरण का उपर्युक्त के अनुसार कोई शैक्षिक, सांस्कृतिक या अन्य पूर्त प्रयोजन है या नहीं, तो राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

(५—क) केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किसी ऋण से ^{ख०}[निगम] द्वारा बनाया गया कोई गृह या अर्जित भूखण्ड ऐसे ऋण के निवन्धनों और शर्तों के अनुसार ^१[निगम] द्वारा बेचा जा सकता है, पट्टे पर दिया जा सकता है या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित किया जा सकता है।

(५—ख) राज्य सरकार की तदर्थ किसी सामान्य या विशेष आज्ञा के अधीन रहते हुए, ^१[निगम] का कोई गृह या गृह—स्थान, संघ के सशस्त्र सेनाओं के किसी ऐसे सदस्य के पक्ष में, जिसके सम्बन्ध में विहित प्राधिकारी ने इंडियन सोल्जर्स (लिटिगेशन) एकट, १९२५ के अधीन इस बात का प्रमाण—पत्र दिया हो कि वह शत्रु की कार्यवाही से अंगहीन हुआ है, अथवा यदि उक्त विहित प्राधिकारी ने यह प्रमाण—पत्र दिया हो कि शत्रु की कार्यवाही से उसकी मृत्यु हुई है, तो उसके ऐसे दायादों के पक्ष में उसकी मृत्यु के समय उस पर आश्रित थे, निःशुल्क अथवा ऐसी रियायती शर्तों पर, जैसा कि ^१[निगम] उचित समझे, बेचा जा सकता है, पट्टे पर दिया जा सकता है, या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित किया जा सकता है।]

(६) उपधारा (३) अथवा उपधारा (४) के अधीन कार्यकारिणी समिति की अथवा ^१[निगम] की स्वीकृति सामान्य रूप से मामलों के किसी वर्ग के लिए या किसी विशेष मामले के लिए विशिष्ट रूप से दी जा सकती है।

(७) इस धारा के पूर्वोक्त उपबन्ध तथा नियमों के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन या इसके प्रयोजन के लिए किये गये ^१[निगम] की सम्पत्ति के प्रत्येक निस्तारण पर लागू होंगे।

^{ख१}[१२६—क. ^१[निगम] के भू—गृहादि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १, वर्ष १८६६ के अध्याय ७ का लागू किया जाना—उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १८५६ के

उपबन्ध किसी ऐसे भू-गृहादि के सम्बन्ध में जो ^{ख12}[निगम] के हों या उसमें निहित हों अथवा ^१[निगम] द्वारा पट्टे पर लिये गये हों, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम में यथापरिभाषित “परिषद् के भू-गृहादि” के सम्बन्ध में लागू हों, और उसमें—

- (क) परिषद् ;
- (ख) नियत प्राधिकारी ;
- (ग) न्यायाधिकरण ; और
- (घ) उक्त अधिनियम के अधीन विषय के लिए किये गये अभिदेश क्रमशः
 - (i) ^१[निगम] ;
 - (ii) जिला मजिस्ट्रेट, जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा तदर्थ प्राधिकृत प्रथम श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का कोई सहायक कलेक्टर भी है ;
 - (iii) धारा ३७१ के अधीन संगठित न्यायाधिकरण ; और
 - (iv) इस अधिनियम के अधीन विहित विषय—

के लिए किए गए अभिदेश समझे जायेंगे ।]

१३०. अचल सम्पत्ति के अनुबन्ध द्वारा अर्जित न होने की दशा में प्रक्रिया—(१) जब कभी मुख्य नगराधिकारी किसी अचल सम्पत्ति को या किसी सुखाधिकार (Easement) को, जिसका ^१[निगम] में निहित किसी अचल सम्पत्ति से सम्बन्ध हो, धारा १२७ के अधीन किसी अनुबंध (Agreement) द्वारा अर्जित करने में असमर्थ हो या जब कभी कोई अचल सम्पत्ति या कोई सुखाधिकार जिसका ^१[निगम] में निहित किसी अचल सम्पत्ति से सम्बन्ध हो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित हो तो राज्य सरकार स्विवेकानुसार, कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से दिये गये मुख्य नगराधिकारी के प्रार्थना-पत्र पर और इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए यह आज्ञा दे सकती है कि उसे ^१[निगम] की ओर से अर्जित करने के लिये कार्यवाही की जाय, चाहे वह सम्पत्ति या सुखाधिकार, (property or easement) लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट, १८६४ या उस मामले में लागू होने वाली किसी अन्य विधि के आशयान्तर्गत कोई ऐसी भूमि है, जिसकी सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

(२) जब कभी किसी नयी सड़क की व्यवस्था करने के लिये या किसी वर्तमान सड़क को चौड़ी करने अथवा उसमें सुधार करने के लिये भूमि अर्जित करने के निमित्त उपधारा (१) के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र दिया जाय तो मुख्य नगराधिकारी के लिये यह वैध होगा कि वह ऐसी नयी सड़क या वर्तमान सड़क की भूमि से मिली हुई ऐसी अतिरिक्त भूमि को, जो सड़क के दोनों पर बनायी जाने वाली इमारतों के लिये अपेक्षित हो, प्रार्थना-पत्र दे और ऐसी अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह भूमि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित है।

(३) यह धारा अध्याय १४ के अधीन किसी अर्जन (Acquisition) पर लागू नहीं होगी।

१३१. संविदे (**Contracts**) करने का ^१[निगम] का अधिकार—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये ^१[निगम] को ऐसे संविदे करने का अधिकार प्राप्त होगा जो इस अधिनियम के अधीन या इसके प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर हों।

१३२. संविदों के निष्पादित किये जाने से संबद्ध कुछ उपबन्ध—(१) धारा १३१ में निर्दिष्ट ऐसे सब संविदे, जिनमें अचल सम्पत्ति या उसमें किसी स्वत्व के अर्जन और निस्तारण से संबद्ध संविदे समिलित हों,

जो इस अधिनियम के अधीन ख13[निगम] के कार्यों के सम्बन्ध में किये गये हों, ^१[निगम] के लिए और उसकी ओर से किये गये व्यक्त किये जायेंगे और उक्त अधिकार का प्रयोग करके किये गये ऐसे सब संविदे तथा संपत्ति सम्बन्धी अधिकार—पत्र (Assurances of property) मुख्य नगराधिकारी द्वारा या ^१[निगम] के ऐसे अन्य पदाधिकारी द्वारा, जिसे मुख्य नगराधिकारी सामान्यतः या किसी विशेष मामले या मामलों के वर्ग के लिए लिखित रूप में अधिकृत करें, ^१[निगम] के लिए और उसकी ओर से निष्पादित (Executed) किये जायेंगे।

(२) किसी भी प्रयोजन के लिए ऐसी कोई संविदा जिसे मुख्य नगराधिकारी इस अधिनियम के या इसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों के अनुसार अन्य ^१[निगम] अधिकारी की स्वीकृति के बिना न कर सकता हो, उसके द्वारा तब तक न किया जायगा जब तक कि ऐसी स्वीकृति न दी गयी हो।

(३) कोई ऐसी संविदा, जिसमें ख14,[एक लाख] रुपये से अधिक और ^२[पाँच लाख] रुपये से अनधिक व्यय होना हो, मुख्य नगराधिकारी द्वारा तब तक न किया जायगा जब तक कि वह कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत न हो जाय।

(४) कोई ऐसा संविदा जिसमें ^३[पाँच लाख] रुपये से अधिक का व्यय होना हो, मुख्य नगराधिकारी द्वारा तब तक न किया जायगा जब तक कि वह ^१[निगम] द्वारा स्वीकृत न हो जाय।

(५) ऐसे प्रत्येक संविदे की सूचना जो मुख्य नगराधिकारी द्वारा किया जाय और जिसमें ^२[पचास हजार] रुपये से अधिक तथा ^३[एक लाख] रुपये से अनधिक का व्यय होना हो, संविदे के किये जाने के १५ दिन के भीतर, कार्यकारिणी समिति को दी जाएगी।

(६) इस धारा के पूर्वोक्त उपबन्ध किसी संविदे के प्रत्येक परिवर्तन तथा निर्वहन (discharge) पर तथा किसी मूल संविदे पर लागू होंगे।

१३३. निष्पादन की रीति—(१) प्रत्येक ऐसा संविदा जो मुख्य नगराधिकारी द्वारा ^१[निगम] की ओर से किया जाय ऐसी रीति से और ऐसे रूप (form) में किया जायगा कि वह उस पर अपनी ओर से किये गये किसी संविदे की भाँति ही बन्धनकारी हो, और वह उसी भाँति ही परिवर्तन या निर्वहन (discharge) किया जा सके।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि —

- (क) ^१[निगम] की सामान्य मुहर ऐसे प्रत्येक संविदे पर लगायी जाय जिस पर यदि संविदा साधारण व्यक्तियों के बीच किया जाय, जो उस पर मुहर लगाना आवश्यक होगा ; और
- (ख) किसी कार्य के निष्पादन के लिए या किसी सामान्य या माल के सम्भरण (Supply) के लिये किया गया प्रत्येक संविदा, जिसमें दो हजार पाँच सौ रुपये से अधिक का व्यय होना हो, लिखित रूप से होगा और उस पर ^१[निगम] की मुहर लगायी जाएगी और उसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख होगा—
 - (१) यथास्थिति किया जाने वाला काम या सम्भरित (supply) किया जाने वाला सामान या माल;
 - (२) ऐसे काम, माल या सामान के लिए दिया जाने वाला मूल्य ; और
 - (३) अवधि, जिसके भीतर उक्त संविदा या उसका निर्दिष्ट भाग कार्यान्वित किया जायगा।

(2) खण्ड ५ [निगम] की सामान्य मुहर (common seal) मुख्य नगराधिकारी की अभिरक्षा (custody) में रहेगी, और किसी सभासद खण्ड ६ [* * *] की उपरिथिति के बिना, किसी संविदे या दूसरे विलेख (instrument) पर नहीं लगायी जायगी। सभासद खण्ड ३ [* * *] संविदे या विलेख पर अपने हस्ताक्षर करेगा जो इस बात का प्रतीक होगा कि संविदे पर मुहर उसके सामने लगायी गयी है।

(3) उक्त संविदे और विलेख पर उपर्युक्त सभासद खण्ड ३ [* * *] के हस्ताक्षर उस संविदे या लेख के निष्पादन के समय किये गये किसी गवाह के हस्ताक्षर से भिन्न (distinct) होंगे।

(4) इस धारा में की गई व्यवस्था के अनुकूल निष्पादित किया गया कोई संविदा खण्ड १ [निगम] पर बन्धनकारी (binding) न होगा।

१३४. निर्माण कार्यों का निष्पादन—खण्ड १ [निगम] मामलों के किसी वर्ग के लिए सामान्य रूप से अथवा किसी विशेष रूप से यह निर्णय कर सकती है कि मुख्य नगराधिकारी संविदा द्वारा कार्य (work) का निष्पादन करेगा अथवा अन्य किसी प्रकार से।

[१३५. पाँच लाख रुपये से अधिक के तखमीने—(१) मुख्य नगर अधिकारी किसी तखमीने की जो कि एक लाख रुपये से अधिक न हो, स्वीकृति दे सकता है ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई तखमीना जिसकी राशि पचास हजार रुपये से अधिक हो उस मुख्य नगर अधिकारी द्वारा केवल नगर-प्रमुख के पूर्व अनुमोदन से स्वीकृत किया जा सकता है।

(२) कार्यकारिणी समिति किसी तखमीने को जिसकी राशि पाँच लाख रुपये से अधिक न हो, स्वीकृत कर सकती है।]

१३६. खण्ड ७, [पाँच लाख रुपये] से अधिक के तखमीने—(१) यदि किसी कार्य के अथवा कार्यों के समूह के निष्पादन के लिये कोई ऐसी योजना (project) बनायी जाय जिसकी पूरी तखमीनी लागत खण्ड ३ [पाँच लाख रुपये] से अधिक हो, तो

(क) मुख्य नगराधिकारी तत्सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन (report) जिसके अन्तर्गत तखमीने और नकशे भी होंगे, जो अपेक्षित हों, तैयार करायेगा और उसे कार्यकारिणी समिति को भेजेगा। कार्यकारिणी समिति अपने सुझावों सहित यदि कोई हों, इस प्रतिवेदन को खण्ड १ [निगम] के समक्ष रखेगी।

(ख) खण्ड १ [निगम] उक्त प्रतिवेदन तथा सुझावों पर विचार करेगी और या तो उस योजना को अस्वीकार कर देगी या उसे पूर्णरूप से, अथवा उसमें परिष्कार (modification) करने के बाद स्वीकार कर लेगी।

(२)(क) यदि खण्ड १ [निगम] उक्त योजना को अनुमोदित कर लेती है और उसकी संपूर्ण तखमीनी (estimated) लागत खण्ड ८, [दस लाख रुपये] से अधिक बैठती है, तो उपर्युक्त परिष्कारों के अधीन रहते हुए, उसका एक प्रतिवेदन (report) राज्य सरकार को भेजा जायगा।

(ख) राज्य सरकार या तो उस योजना को अस्वीकार कर देगी अथवा उसे पूर्ण रूप से, अथवा उसमें परिष्कार करने के बाद, स्वीकार कर लेगी।

(ग) परिष्कारों सहित अथवा रहित राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायगा।

(घ) उपर्युक्त प्रकार से स्वीकृत योजना में राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना कोई महत्वपूर्ण (material) परिवर्तन न किया जायगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा में और धारा १३५ में शब्द “तखमीना” (estimate) से तात्पर्य है समस्त योजना के लिये कुल त खमीना, जिसमें समस्त संव्यवहार (transaction) जो मिलकर योजना बनाते हैं, सम्मिलित हैं।

ख१६ [१३६—क. कतिपय परियोजनाओं के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध—

इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित या विश्व बैंक या किसी अन्य विदेशी संगठन से सहायता प्राप्त करने वाली किसी नगर विकास परियोजना के सम्बन्ध में प्रत्येक संविदा या तखमीना राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार तैयार या स्वीकृत किया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा परियोजना के अनुमोदन के दिनांक से एक मास के भीतर ऐसी नगर विकास परियोजनाओं के लिए निधियों की स्वीकृति के लिए निगम की बैठक आयोजित करके विनिश्चय किया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि निगम की बैठक प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में विनिर्दिष्ट समय के भीतर न आयोजित की जाय या विनिश्चय न किया जाय, तो समझा जाएगा कि निगम ने निधि स्वीकृत करने दी है और यदि स्वीकृत करने से इन्कार कर दिया जाय या उपन्तरों सहित स्वीकृति दी जाय तो मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायगा और राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा और निगम पर बाध्यकारी होगा और यह समझा जायगा कि निगम ने तदनुसार निधि स्वीकृत कर दी है। मुख्य नगर अधिकारी तदोपरान्त परियोजना का निष्पादन कर सकता है, निधि व्यय कर सकता है और नियत समय के भीतर परियोजना का पूरा होना सुनिश्चित करेगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि निगम, परियोजनाओं का नियमित अनुश्रवण करेगा और अपनी आख्या राज्य सरकार को भेजेगा।]

१३७. भूमि के तत्कालीन स्वामी के विरुद्ध समझौते (**covenants**) प्रवृत्त (**enforce**) करने के **ख०** [निगम] के अधिकार—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये किसी अचल सम्पत्ति के संबंध में कोई ऐसा समझौता, जो उस सम्पत्ति के स्वामी अथवा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे ^२[निगम] की वह सम्पत्ति बिक्री अथवा विनिमय (exchange) द्वारा हस्तांतरित की गई हो, ^२ [निगम] के साथ सम्पन्न किया गया हो इस बात के होते हुए भी किसी ऐसे अचल सम्पत्ति पर, जिसके लाभार्थ वह समझौता हुआ था, न तो ^२[निगम] का कब्जा ही और न उसमें उसका कोई हित ही है, उसी प्रकार और उसी सीमा तक ^१[निगम] द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रवर्तनीय (**enforceable**) होगा, जिसे समझौते के अन्तर्गत स्वामित्व के अधिकार मिलते हों, मानो ^२[निगम] का उस पर कब्जा है अथवा उसका उसमें हित है।

१३८. नियम बनाने के अधिकार—(१) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ नियम बना सकती है।

(२) उपर्युक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है—

- (क) धारा १२६ की उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन ^२[निगम] में निहित होने वाली सम्पत्ति या आस्तियाँ (**assets**) निश्चित करने के लिए प्रक्रिया ;
- (ख) धारा १२६ की उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन ^२[निगम] के अधिकार, दायित्व और आभार निश्चित करने के लिये प्रक्रिया ;

- (ग) ख७ [निगम] के लिये या उसकी ओर से सम्पत्ति खरीदने या उसे अर्जित करने अथवा १[निगम] में निहित उसके द्वारा अर्जित सम्पत्ति की बिक्री, उसका पट्टा करने, उसे किराये पर देने, उसका विनिमय या निस्तारण करने के लिये सामान्य प्रक्रिया ;
- (घ) वे निबन्धन (terms) तथा दरें, जिनके अनुसार १[निगम] के लिए कोई अचल सम्पत्ति खरीदी अथवा किसी अनुबन्ध (agreement) द्वारा अर्जित की जाय ;
- (ङ) १[निगम] के लिए तथा उसकी ओर से किसी सम्पत्ति को अनिवार्य रूप से अर्जित करने के सम्बन्ध में हुए खर्चों, उसके लिये दिया गया प्रतिकर (compensation) तथा तत्सम्बन्धी अन्य परिव्यय (charges) का भुगतान ;
- (च) संविदे करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया ;
- (छ) रीति जिससे संविदे निष्पादित किये जायें ;
- (ज) संविदों के यथावत् संपादन (performance) के लिए माँगी जाने वाली प्रतिभूति ;
- (झ) निर्माण—कार्यों के लिए विस्तृत नकशों और तखमीनों को तैयार और स्वीकृत किया जाना तथा टेंडरों का आमंत्रित किया जाना, उनकी जाँच और उनका स्वीकार किया जाना ;
- ↓ (ज) निर्माण—कार्यों का निष्पादन तथा उनकी स्वीकृति की शर्तें ;
- (ट) ये विषय जो निर्दिष्ट किये जाने वाले हों या किये जायें।
-

ख१. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १६६४ द्वारा शब्द "महापालिका" के स्थान पर रखा गया

ख२. उ०प्र० अधिनियम सं० १४ सन् १६५६ की धारा ६(१) द्वारा बढ़ाया गया

३. उ०प्र० अधिनियम सं० १४ सन् १६६४ द्वारा शब्द "म्युनिसिपल बोर्ड" के स्थान पर रखा गया।

ख३. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १६५६ की धारा ६(२) द्वारा निकाल दिया गया

ख४. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १६६४ द्वारा प्रतिस्थापित

ख५. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १६६४ द्वारा शब्द "म्युनिसिपल बोर्ड" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

ख६. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १६५६ की धारा ६(३) द्वारा बढ़ाया गया।

ख७. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १६६४ द्वारा प्रतिस्थापित

ख८. उ०प्र० अधिनियम सं० २४ सन् १६७२ द्वारा प्रतिस्थापित

ख९. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १६६४ द्वारा प्रतिस्थापित।

ख१०. उ०प्र० अधिनियम सं० ३० सन् १६७० द्वारा बढ़ाया गया।

ख११. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १६६४ द्वारा प्रतिस्थापित।

ख१२. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १६६४ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

ख१३. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १६६४ द्वारा शब्द और अंक "१०,०००" के स्थान पर "एक लाख", ५०,००० के स्थान पर "पाँच लाख" तथा १,००० के स्थान पर "पचास हजार" रखा गया

ख१४. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १६६४ द्वारा प्रतिस्थापित

ख१५. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १६७७ द्वारा "या विशेष सदस्य" निकाला गया

ख१६. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १६६४ द्वारा शब्द और अंक "५०,००० रुपये" के स्थान पर "पाँच लाख रुपये", "प्रतिस्थापित किया गया।

ख१७. उ०प्र० अधिनियम सं० ३ सन् १६८७ द्वारा शब्द और अंक "पाँच लाख रुपये" के स्थान पर प्रतिस्थापित

ख१८. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १६६४ द्वारा अन्तः स्थापित।

ख१९. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १६६४ द्वारा प्रतिस्थापित।

ख२०. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १६६४ द्वारा प्रतिस्थापित।

ख२१. उ०प्र० अधिनियम सं० १२ सन् १६६४ द्वारा प्रतिस्थापित